

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

मुमताज खां वगै.

बनाम

इन्द्रा कंवर वगै.

किस्म मुकदमा :- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 188 आरटी एक्ट
15/18 एवं 2018/00024

मु.नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
29.11.19	<p>पत्रावलो पेश हुयी प्राथना पत्र ०७ नियम ११ सीपीसी व जबाब प्राथना पत्र का गहन अवलोकन करने तथा बहस वकाल उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय का मत है का वाद खातेदार कास्तकार के विरुध मात्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया है तथा कब्जा काशत बाबत भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अतः इकरारनामा के आधार पर इस न्यायालय म घोषणात्मक वाद लाने का वादो अधिकारी नहीं है तथा इकरारनामा के आधार पर वाद न्यायालय के श्हेत्राधिकार म भी नहीं है अतः प्राथना पत्र आदेश ७ नियम ११ सीपीसी स्वीकार कार वाद पत्र इसी स्तर खारिज किया जाता है परचा डिक्री जरा हो पत्रावलो फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो</p>	